

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प०क० सेवाये, राजस्थान जयपुर

क्रमांक :- राजपत्रित/डीपीसी/एसीपी/11/

दिनांक :-

--: आदेश :-

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.11(7)/वित्त/नियम/2008/पार्ट I दिनांक 12.09.2008 एवं 06.10.08 तथा एफ.14(88)एफडी (रूल्स)/2008-II दिनांक 31.12.09 के अनुसरण में उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक: प.22 (1) चि.स्वा./2/2010 दिनांक 19.12.11 एवं प.22 (18) चि.स्वा./गुप-2/2010 दिनांक 19.12.11 के द्वारा निम्नलिखित वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों की 20 व 30 वर्ष की निरन्तर एवं सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने पर उनके नाम के सामने अंकित दिनांक से वेतन श्रृंखला 15600-39100 में ग्रेड पे-6800/- व 7200/- रुपये स्वीकृत करने की अनुमति अनुसार एस्योर्ड केरियर प्रोग्रेशन स्वीकृत की जाती है :-

क्रं. सं.	चिकित्सक का नाम	वर्तमान पद	वर्तमान पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	नियमित नियुक्ति दिनांक	20 व 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की दिनांक	20 व 30 वर्ष पूर्ण होने पर एसीपी स्वीकृती दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8
1	डॉ. अरुण महाजन	वरिष्ठ चि. अधिकारी	अधीक्षक, जे. के. लोन होस्पिटल, जयपुर	23-09-55	18-03-84	18-03-04	01-09-06
2	डॉ. बंशीलाल मण्डारा	वरिष्ठ चि. अधिकारी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा अधिकारी, अजमेर	23-04-57	09-08-90	09-08-10	09-08-10
3	डॉ. बालकृष्ण पंवार	वरिष्ठ चि. अधिकारी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा अधिकारी, श्रीगंगानगर	12-02-59	13-09-90	13-09-10	13-09-10
4	डॉ. मोहन प्रिया व्यास	वरिष्ठ चि. अधिकारी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा अधिकारी, जयपुर	28-08-54	08-01-81	08-01-11 (30 Year)	08-01-11 (30 Year)
5	डॉ. नन्द किशोर भूतडा	वरिष्ठ चि. अधिकारी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा अधिकारी, पाली	06-07-52	03-09-86	03-09-06	03-09-06
6	डॉ. नरेन्द्र कुमार	वरिष्ठ चि. अधिकारी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा अधिकारी, श्रीगंगानगर	07-11-59	03-09-86	03-09-06	03-09-06
7	डॉ. ओ. पी. व्यास	वरिष्ठ चि. अधिकारी	निदेशक, ई.एस.आई., चि. एवं स्वा. सेवाये	03-02-50	28-05-87	28-05-07	28-05-07
8	डॉ. रघुनाथ प्रसाद मर्ग	वरिष्ठ चि. अधिकारी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा अधिकारी, जैसलमेर	05-03-62	13-09-90	13-09-10	13-09-10
9	डॉ. राकेश कुमार सक्सेना	वरिष्ठ चि. अधिकारी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा अधिकारी, बांसवाडा	26-12-57	10-03-84	10-03-04	01-09-06
10	डॉ. शरद कुमार माथुर	वरिष्ठ चि. अधिकारी	निदेशक, ई.एस.आई., चि. एवं स्वा. सेवाये	08-06-48	01-02-81	01-02-01	01-09-06
11	डॉ. सरोज सिंह	वरिष्ठ चि. अधिकारी	निदेशक, ई.एस.आई., चि. एवं स्वा. सेवाये	16-06-53	10-03-84	10-03-04	01-09-06

1	2	3	4	5	6	7	8
12	डॉ. शशी शर्मा	वरिष्ठ चि. अधिकारी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा अधिकारी, जयपुर	10-04-58	20-06-86	20-06-06	01-09-06
13	डॉ. सुनीता अग्रवाल	वरिष्ठ चि. अधिकारी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा अधिकारी, जयपुर	01-07-60	31-01-87	31-01-07	31-01-07
14	डॉ. वासुदेव बेलानी	वरिष्ठ चि. अधिकारी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा अधिकारी, अजमेर	28-12-51	03-09-86	03-09-06	03-09-06
15	डॉ. विनय कुमार जैन	वरिष्ठ चि. अधिकारी	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, डूंगरपुर	23-05-54	01-02-81	01-02-11 (30 Year)	01-02-11 (30 Year)
16	डॉ. आशारानी गुप्ता	वरिष्ठ चि. अधिकारी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा अधिकारी, उदयपुर	13-10-59	03-09-86	03-09-06	03-09-06
17	डॉ. अजीत कौचर	वरिष्ठ चि. अधिकारी	प्रमुख चिकित्सा अधि., श्रीगंगानगर	15-07-51	01-02-81	01-02-11 (30 Year)	01-02-11 (30 Year)
18	डॉ. अशोक कुमार अग्रवाल	वरिष्ठ चि. अधिकारी	निदेशक, ई.एस.आई., चि. एवं स्वा. सेवाये	01-01-50	25-04-81	25-04-01	01-09-06
19	डॉ. अतुल प्रसाद गुप्ता	वरिष्ठ चि. अधिकारी	निदेशक, ई.एस.आई., चि. एवं स्वा. सेवाये	11-09-62	13-09-90	13-09-10	13-09-10
20	डॉ. छीतरमल अग्रवाल	वरिष्ठ चि. अधिकारी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा अधिकारी, जयपुर	05-05-51	01-07-82	01-07-02	01-09-06
21	डॉ. दौलत राम यादव	वरिष्ठ चि. अधिकारी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा अधिकारी, करौली	07-08-59	03-09-86	03-09-06	03-09-06
22	डॉ. जगमोहन लाल गुप्ता	वरिष्ठ चि. अधिकारी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा अधिकारी, दौसा	25-09-54	31-12-82	31-12-02	01-09-07 (1 AGI)
23	डॉ. जवाहर लाल गार्गिया	वरिष्ठ चि. अधिकारी	निदेशक, ई.एस.आई., चि. एवं स्वा. सेवाये	20-02-52	02-04-81	02-04-11 (30 Year)	02-04-11 (30 Year)
24	डॉ. खेमराज मेहता	वरिष्ठ चि. अधिकारी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा अधिकारी, बांरा	12-09-51	03-02-83	03-02-03	01-09-07 (1 AGI)
25	डॉ. कोकिला जैनव	वरिष्ठ चि. अधिकारी	कमाण्डेट, चौथी बटा. आर.ए.सी., जयपुर	24-04-63	03-05-90	03-05-10	03-05-10
26	डॉ. कमल कान्त वर्मा	वरिष्ठ चि. अधिकारी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा अधिकारी, जालोर	08-08-57	09-09-82	09-09-02	01-09-06
27	डॉ. मौज प्रकाश जैन	वरिष्ठ चि. अधिकारी	निदेशक, ई.एस.आई., चि. एवं स्वा. सेवाये	02-11-62	26-11-90	26-11-10	26-11-10
28	डॉ. नवीन अजमेरा	वरिष्ठ चि. अधिकारी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा अधिकारी, जयपुर	29-12-53	12-07-82	12-07-02	01-09-06
29	डॉ. ओ. पी. माथुर	वरिष्ठ चि. अधिकारी	निदेशक, ई.एस.आई., चि. एवं स्वा. सेवाये	28-02-51	01-07-82	01-07-02	01-09-06
30	डॉ. ओम प्रकाश मीणा	वरिष्ठ चि. अधिकारी	संयुक्त निदेशक, जोन, जयपुर	30-05-54	01-07-82	01-07-02	01-09-06

1	2	3	4	5	6	7	8
31	डॉ. राजेन्द्र सिंह राव	वरिष्ठ चि. अधिकारी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा अधिकारी, जयपुर	11-09-55	29-03-84	29-03-04	01-09-06
32	डॉ. रामप्रकाश वर्मा	वरिष्ठ चि. अधिकारी	निदेशक, ई.एस.आई., चि. एवं स्वा. सेवाये	01-01-61	07-09-90	07-09-10	07-09-10
33	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जैन	वरिष्ठ चि. अधिकारी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा अधिकारी, जयपुर प्रथम	23-08-55	16-01-83	16-01-03	01-09-06
34	डॉ. रवीन्द्र कुमार विजयवर्गीय	वरिष्ठ चि. अधिकारी	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, नसीराबाद	16-01-55	09-08-90	09-08-10	09-08-10
35	डॉ. श्रीनाथ सोनी	वरिष्ठ चि. अधिकारी	निदेशक, ई.एस.आई., चि. एवं स्वा. सेवाये	07-12-48	01-06-79	01-06-99	01-09-06
36	डॉ. उमा गुप्ता	वरिष्ठ चि. अधिकारी	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बांसवाडा	14-02-55	01-07-82	01-07-02	01-09-06

उक्त वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों का सेवा रिकार्ड कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष स्तर पर रहने के कारण एसीपी की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन प्रदान की जाती है :-

- 1 कार्मिक विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ.7(1)कार्मिक/क-2/95 दिनांक 20.06.01 के क्रम में दिनांक 01.06.02 को एवं इसके पश्चात् अधिकारी की तीसरी सन्तान नहीं होने की अधिकारी द्वारा घोषणा।
- 2 एसीपी की देय तिथि से ठीक 20 व 30 वर्ष पूर्व नियमित रूप से अधिकारी को वेतन वृद्धिया मिलने एवं उक्त अवधि की सेवायें सन्तोषप्रद होने बाबत अधिकारी द्वारा घोषणा।
- 3 संबंधित वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के विरुद्ध कोई विभागीय/फौजदारी जांच लम्बित/प्रस्तावित नहीं होने की तथा पूर्व में कोई दण्ड नहीं मिलने की अधिकारी की घोषणा।
- 4 उक्त कॉलम में अंकित नियुक्ति तिथि नियमित रूप से होने की अधिकारी की घोषणा भी प्राप्त की जाना।
- 5 जिन चिकित्सकों द्वारा पदौन्नती फोरगो की गई है उन्हें नियमानुसार 02 वर्ष पश्चात् की एसीपी का लाभ इस शर्त पर दिया जायेगा कि उनकी पुनः पदौन्नती होने पर उनके द्वारा फोरगो नहीं किया गया हो।
- 6 संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड/सेवा रिकार्ड से घोषणा पत्र के तथ्यों तथा सेवा रिकार्ड के अनुसार चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यग्रहण तिथि की पुष्टी की जावेगी तथा उक्त घोषणा पत्र व इसकी पुष्टी का इन्द्राज संबंधित चिकित्सा अधिकारी की सेवा पुस्तिका में किया जाकर तदनुसार वेतन निर्धारण किया जावेगा विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अधिकारी की एसीपी स्वीकृति तिथि को 20 व 30 वर्ष निरन्तर व सन्तोषप्रद राजकीय सेवा की पुष्टी की जावेगी।

उपरोक्त चिकित्सकों के इस सम्पूर्ण अवधि के एसीआर (वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन) प्राप्त नहीं होने के कारण सन्तोषप्रद सेवा का प्रमाण के आधार पर उक्त एसीपी इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में उक्त अवधि में एसीआर में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर एसीपी स्वीकृति के बारे में निर्णय लिया जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

उपरोक्त विधि से प्रकरण नियमानुसार होने पर ही इस स्वीकृति के फलस्वरूप संबंधित वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 12.09.08 व 06.10.08 के नियम-20 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा एवं इस स्वीकृति तथा वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से संबंधित चिकित्सकों की सेवा पुस्तिका में की जावेगी। वेतन निर्धारण से पूर्व संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि संबंधित चिकित्सकों एसीपी स्वीकृति तिथि को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरक्षित वेतन) नियम-2008 के वेतन श्रृंखला 15600-39100 में ग्रेड-पे 6600 व 6800 में वेतन प्राप्त कर रहे हैं।

निदेशक (जन स्वा)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्ये  
राजस्थान जयपुर।

दिनांक :- 11/1/12

क्रमांक :- राजपत्रित/डीपीसी/एसीपी/11/1386

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 2 निदेशक, ई.एस.आई., चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर।
- 3 कमाण्डेंट, चौथी बटालियन, आर.ए.सी., जयपुर।
- 4 अधीक्षक, जे. के. लोन होस्पिटल, जयपुर।
- 5 सम्बंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन।
- 6 सम्बंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
- 7 सम्बंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
- 8 समस्त डिलिंग सहायक, राजपत्रित संस्थापन अनुभाग, मुख्यालय।
- 9 प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख हैं कि विभाग की वैबसाइट पर तुरन्त अपलोड करवाने की व्यवस्था करें।
- 10 आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्ये  
राजस्थान जयपुर।